न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 96/2024-25
धारा 163 BNSS

प्रथम पक्ष .... छोटेलाल साहु......... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष .... कमल साहु .... वगैरह

आदेश की क्र0 सं0 की तिथि	**दण्डाधिकारी का आदेश का हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि

थाना पालकोट के अप्राथमिकी संख्या 02/2025 दिनांक 22.03.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) छोटेलाल साहु उम्र 56 वर्ष पिता–स्व0 रामनरेश साहु (2) चांदमुनी देवी उम्र 51 वर्ष पति–छोटेलाल साहु दोनों ग्राम–कोलेंग,नवाडीह थाना– पालकोट, जिला–गुमला **द्वितीय पक्ष**– (1) कमल साहु उम्र 50 वर्ष, पिता–तेतरू साहु (2) गोपाल साहु उम्र 30 वर्ष पिता–बालो साहु (3) सीवब्रत साहु उम्र 32 वर्ष पिता–बालो साहु (4) घुरन साहु, उम्र 38 वर्ष पिता–भौरा साहु सभी ग्राम–कोलेंग, नवाडीह थाना–पालकोट जिला–गुमला मौजा– कोलेंग थाना– पालकोट के खाता संख्या 322 प्लॉट सं0 2290 रकबा 0.66 ए0 मधे 0.45 ए0, एवं प्लॉट संख्या 2291 रकबा 0.06ए0, कुल रकबा 0.51 एकड़ आपसी जमीन को लेकर विवाद है। जिसको लेकर आपसी उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद ग्राम– कोलेंग, नवाडीह थाना– पालकोट जिला–गुमला खाता संख्या 322 प्लॉट संख्या 2290 एवं 2291 रकबा 0.45 ए0 एवं 0.06 एकड़ कुल रकबा 0.51 ए0 प्रथम पक्ष छोटेलाल साहु, के पिता– रामनरेश साहु को झारखण्ड सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग अनतर्गत न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के द्वारा वाद संख्या 05/2003-04 के द्वारा बन्दोबस्ती प्राप्त है और तब से प्रथम पक्ष शांतिपूर्वक दखलकार होकर खेती बारी करते चले आ रहे है और सरकार को अद्यतन लगान दे रहें है। प्रश्नगत जमीन आर0एस0 रिकार्ड ऑफ राइट में गैरमजरूवा मालिक महाराजा उदयनाथ शाहदेव दर्ज है।

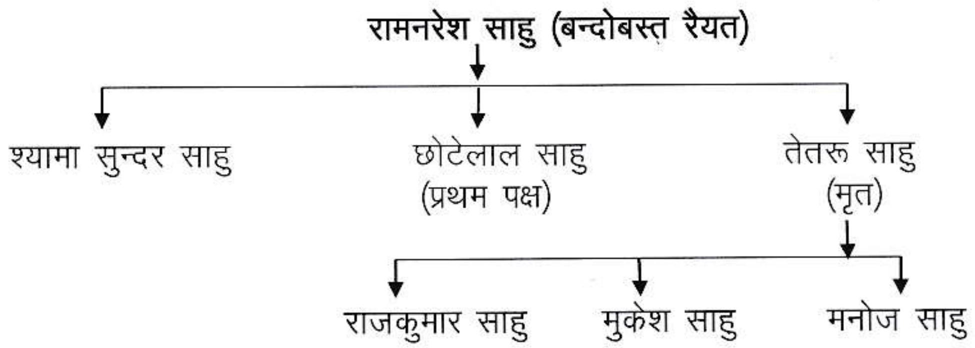

प्रश्नगत जमीन की जमाबन्दी रामनरेश साहु के नाम जमाबन्दी कायम है जो भोलुम नं0 04 पेज नं0 06 पर दर्ज है। जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के सदस्य बिना हक व सरोकर के बलपूर्वक जबरन प्रथम पक्ष के जमीन को दखल करना चाहते है। जिससे प्रथम पक्ष के सदस्य पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है और द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या बल में ज्यादा होने के कारण कभी भी शांति भंग कर सकते है।

उपरोक्त परिस्थिति एवं साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान् से अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के हित में धारा 163 BNSS की कार्यवाही विलुप्त करने हुए द्वितीय पक्ष के सदस्यों के विरूद्ध स्थिर किया जाय।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

1. लिखित जवाब।
2. खतियानी की प्रति।
3 लगान रसीद की प्रति।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 अप्राप्त।

निष्कर्ष

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद्‌गत भूमि मौजा कोलेंग थाना– पालकोट, जिला– गुमला के खाता सं0 322 प्लॉट नं० 2290 एवं 2291 रकबा 0.45 ए0 एवं 0.06 ए0 कुल रकबा 0.51 ए0 से संबंधित है। प्रथम पक्ष छोटेलाल साहु के पिता रामनरेश साहु को झारखण्ड सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के वाद संख्या 05/2003-04 के द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है, तब से प्रथम पक्ष शांतिपूर्वक दखलकार होकर खेती बारी करते चले आ रहे है, और सरकार को अद्यतन लगान दे रहे है। प्रश्नगत जमीन की जमाबन्दी रामनरेश साहु के नाम से जमाबन्दी कायम है जो भोलुम सं0 4 पेज सं0 06 पर दर्ज है।

अतः प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित करते हुए द्वितीय पक्ष को स्थिर किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट एवं थाना प्रभारी, पालकोट को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

17/7/25
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

17/7/25
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.07.17 11:52:13 +05:30
Location: 192.168.1.5